न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 99 / 2021(जी.सी.एम.एस. 2021 / 170)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. एकांश पुत्र रोहित कुमार नाबालिग जरिये माता बलीसरपरस्त चन्दावली पत्नी रोहित कुमार पुत्री लालचन्द जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 10 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी मैट्रो एन्कलेव हिन्दुमलकोट रोड श्रीगंगानगर।	1. रोहित कुमार पुत्र प्रेम कुमार जाति छोडा अगेडा निवासी वार्ड नम्बर 10 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।
	2. प्रेम कुमार पुत्र देशराज जाति छोडा अगेडा निवासी वार्ड नम्बर 10 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।
2. हरनाज पुत्री रोहित कुमार पुत्री लालचन्द जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 10 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी मैट्रो एन्कलेव हिन्दुमलकोट रोड श्रीगंगानगर।	3. नेहा पत्नी विपिन कुमार जाति अगेडा निवासी वार्ड नम्बर 10 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।
	4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:— 06.10.2021

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 ए, 188, 92ए आरटीए

——निर्णय—— दिनांक : 04.09.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 117/117 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 68/9 की कुल 9.489 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के दादा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रेम कुमार पुत्र देसराज के नाम 0.632 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है और प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण का दादा व प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण की बुआ है। वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 0.632 हैक्टेयर भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की भूमि है तथा अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब की संयुक्त आय से अर्जित सम्पति है, जो जद्दी जायदाद है, उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को पूर्वजों से प्राप्त हुई है, इसलिए उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 से 1/3 हिस्सा यानि 0.211 हैक्टेयर भूमि विरास्तन प्राप्त होने वाले हिस्से में से वादीगण 1/3 हिस्सा यानि 0.141 हैक्टेयर हिस्सा क्लेम करते है और अपने हिस्सा की उक्त भूमि पर वादीगण जरिये माता आज तक लगातार शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण का पिता प्रतिवादी संख्या 1 हर तरह का नशा करने का आदी है। वादीगण का पिता नशे की लत को पूरा करने के लिए दो तीन बार जेल भी जा चुका है और वादीगण का दादा प्रतिवादी संख्या 2 भी शराब का नशा करता है, उक्त सभी व्यक्ति लालची प्रवृति के लोग है, जो वादीगण की माता को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करते रहते है, इसी बात को लेकर वे कई बार वादीगण की माता के साथ मारपीट करके वादीगण की सहित घर से निकाल देते थे। सितम्बर माह वर्ष 2020 में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की माता को दहेज की मांग को लेकर वादीगण सहित घर से बाहर निकाल दिया था। कई बार पंचायते हुई, लेकिन प्रतिवादीगण दहेज की अनुचित मांग पर अडे रहे एंव प्रतिवार्दागण ने वादीगणकी माता एंव वादीगण को बसाने से इन्कार कर दिया। आज से 2 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण से बार-बार आग्रह किया कि वह उक्त भूमि में से वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम लगवा देवे तथा कब्जा में दंखलअंदाजी ना करे। लेकिन प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गए। प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहने लगे कि हम तुम्हारे हिस्से की भूमि खुर्द-बुर्द कर देगें। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो प्रतिवादीगण को ना पुरा हो सकने वाला नुकसान होगा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 117/117 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 68/9 की कुल 9.489 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 2 प्रेम कुमार पुत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

देसराज के नाम दर्ज 0.632 में से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने वाली 0.211 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 के द्वारा बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा बन्द होने के कारण हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। साक्ष्यवादी में वादीगण की माता चन्दावली के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर शपथपत्र बावत साक्ष्य पेश किया। दस्तावेजात प्रदर्श करवाए गए, जो सामिल सिमल है।

3. एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ. नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 117/117 की प्रति, पुलिस थाना महिला श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 117/117 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 68/9 की कुल 9.489 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 2 प्रेम कुमार पुत्र देसराज के नाम दर्ज 0.632 में से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने वाली 0.211 हैक्टेयर भूमि में से 1/3-1/3 हिस्से के खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया। अतः वाद पत्र वादीगण, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 117/117 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 68/9 की कुल 9.489 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 2 प्रेम कुमार पुत्र देसराज के नाम दर्ज 0.632 में से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रोहित कुमार पुत्र प्रेम कुमार को प्राप्त होने वाली 0.211 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण एंकाश पुत्र रोहित कुमार, हरनाज पुत्री रोहित कुमार प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

एकांश आदि बनाम रोहित कुमार आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 188 आरटीए
मुकदमा नम्बर **99/2021**

निर्णय दिनांक :- 04.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकरवादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 117/117 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 68/9 की कुल 9.489 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 2 प्रेम कुमार पुत्र देसराज के नाम दर्ज 0.632 में से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रोहित कुमार पुत्र प्रेम कुमार को प्राप्त होने वाली 0.211 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण एंकाश पुत्र रोहित कुमार, हरनाज पुत्री रोहित कुमार प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 04.09.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 04.09.2024

क्रमांक: रीडर/2024/505
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर